इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जनवरी 2022—पौष 17, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2022

क्रमांक एफ—बी—1—01—2022—2—पांच(01).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप— धारा (1) तथा उप—धारा (2) के खण्ड (घ) तथा (ज) एवं धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3—ख के उप—नियम (12) के अधीन विहित सी.एस.1—ख अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 3 के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"3 अनुज्ञप्तिधारी, देशी मदिरा भराई हेतु स्पिरिट डी—1 अनुज्ञप्तिधारी से या उस प्रयोजन हेतु प्रदत्त अनुमति में सम्मिलित निबंधनों और शर्तों के अनुसार विहित फीस का भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त करेगा:

परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश में भी डी—1 अनुज्ञप्ति का धारक है तो वह केवल स्वयं की आसवनी (डी—1 अनुज्ञप्ति) में ही निर्मित रेक्टीफाइड स्पिरिट/ई.एन.ए. से देशी मदिरा का निर्माण करेगा तथा इस प्रयोजन हेतु किसी अन्य स्रोत से रेक्टीफाइड स्पिरिट/ई.एन.ए प्राप्त करना प्रतिबंधित होगा।"।

2. नियम 3—ग के शीर्षक तथा उसके उप—नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक तथा उप—नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"3—ग. देशी स्पिरिट की बोतल भराई और उसके भंडारण के लिए रेक्टीफाइड स्पिरिट/ई.एन.ए. का प्राप्त किया जाना—

(1) मध्यप्रदेश का ऐसा डी—1 अनुज्ञप्तिधारक जो सी.एस.1—ख अनुज्ञप्ति का भी धारक है सी.एस.—1 अनुज्ञप्ति के अधीन देशी मदिरा का प्रदाय करने हेतु अनिवार्य रूप से स्वयं की आसवनी (डी—1 अनुज्ञप्ति) में ही निर्मित रेक्टीफाइड स्पिरिट/ई.एन.ए. से देशी मदिरा का निर्माण करेगा तथा इस प्रयोजन हेतु किसी अन्य स्त्रोत से रेक्टीफाइड स्पिरिट/ई.एन.ए प्राप्त करना प्रतिबंधित होगा।"।

3. नियम 7 में उप–नियम (एक) के पश्चात्, सेमी कालन के स्थान पर, कालन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु सी.एस.1–ख अनुज्ञप्तिधारी धारक को रेक्टिफाइड स्पिरिट/ई.एन.ए. एवं देशी मदिरा के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि वह मध्य प्रदेश में डी–1 अनुज्ञप्ति का धारक है।"।

(4) यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2022

क्रमांक बी–01–01–2022–2–पांच(01).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी–01–01–2022–2–पांच, (01) दिनांक 07 जनवरी, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 7th January 2022

No. F-B-1-01-2022-2-V(01).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) and (h) of sub-section (2) of Section 62 and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. For condition number 3 of C.S.1-B license prescribed under sub-rule (12) of rule 3-B, the following condition shall be substituted, namely :-

"3. The licensee shall procure spirit for bottling country liquor from a D-1 licensee or by import as per the terms and condition incorporated in the permission granted for the purpose after payment of prescribed fee:

Provided that if the licensee is holding D-1 licence also in Madhya Pradesh, it shall manufacture country liquor from the rectified spirit/ENA manufactured in its own distillery (D-1 licence) only and procuring rectified spirit/ENA from any other source for this purpose shall be prohibited.".

2. For the heading of rule 3-C and sub-rule (1) thereof, the following heading and sub-rule hall be substituted, namely :-

"3-C. Procurement of Rectified Spirit/ENA for bottling of country spirit and storage thereof.-

(1) Such a D-1 licence holder of Madhya Pradesh, who is also holder of CS1-B licence, shall manufacture country liquor mandatorily from the Rectified Spirit/ENA manufactured in its own distillery (D-1 licence) only for making supply of country liquor under CS-1 licence and procuring Rectified Spirit/ENA from any other source for this purpose shall be prohibited.".

3. In rule 7, after sub-rule (i), for semi colon, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that the CS1-B licence holder shall not be allowed to import Rectified Spirit/ENA and country liquor if he is holding D1 licence in Madhya Pradesh.".

4. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022.